

आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड

पीपीआई नियम और शर्तें

ये नियम और शर्तें ("**नियम और शर्तें**") आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड ("**कंपनी**" या "**जारीकर्ता**" या "**एबीसीडीएल**") द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान साधनों ("**पीपीआई**" या "**वॉलेट**" या "**कार्ड**") के प्रावधानों को लागू और नियंत्रित करती हैं।

पीपीआई का लाभ उठाने के लिए साइन-अप प्रक्रिया को पूरा करने पर यह माना जाएगा कि आपने यहां उल्लिखित पीपीआई जारी करने के नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है, समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है, साथ ही हमारे आवेदन में निर्दिष्ट और समय-समय पर संशोधित सामान्य नियम और शर्तों को भी स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है, समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है।

इन नियमों और शर्तों में, "**हम**", "**हमें**" या "**हमारा**" का अर्थ एबीसीडीएल है और "**आप**" या "**आपका**" का अर्थ पीपीआई खरीदने या उपयोग करने वाले व्यक्ति से है।

परिभाषाएं

इन नियमों और शर्तों में, जब तक कि विपरीत इरादा प्रकट न हो और/या संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, बड़े अक्षरों में परिभाषित शब्द: (i) उद्धरणों में शामिल और/या कोष्ठक में दिए गए अर्थों को धारण करते हैं; और (ii) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए हैं:

- "**आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड**" या "**जारीकर्ता**" या "**एबीसीडीएल**" का अर्थ है आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 18वीं मंजिल, वन वर्ल्ड सेंटर, टॉवर 1, जुपिटर मिल्स कंपाउंड, 841 सेनापति बापत मार्ग, एल्फिन्स्टन रोड डेलिस्ले रोड, मुंबई महाराष्ट्र 400013 में स्थित।
- "**लागू कानून**" का अर्थ है कोई भी विधि, कानून, नियम, अध्यादेश, नियम, निर्णय, अधिसूचना, आदेश, डिक्री, उप-नियम, परमिट, लाइसेंस, स्वीकृतियां, सहमतियां, सरकारी अनुमोदन, निर्देश, दिशानिर्देश, आवश्यकताएं, या अन्य सरकारी प्रतिबंध, या किसी प्राधिकरण द्वारा किए गए निर्णय का कोई समान रूप, या निर्धारण, या कोई व्याख्या, नीति या प्रशासन, जो उपरोक्त में से किसी के कानून का बल रखता हो, चाहे वह इन नियमों और शर्तों से बंधे होने की तिथि को प्रभावी हो या उसके बाद किसी भी समय।
- "**प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई)**" का अर्थ है एक प्रीपेड भुगतान साधन होगा जो उसमें संग्रहित मूल्य के विरुद्ध वस्तुओं और सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, प्रेषण सुविधाओं आदि की खरीद की सुविधा प्रदान करता।
- "**ग्राहक**" या "**धारक**" या "**आप**" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति/संगठन होगा जो एबीसीडीएल से पीपीआई प्राप्त करता है/खरीदता है और जो ऐसे पीपीआई पर संग्रहित मूल्य के विरुद्ध इसे धारण करने और उपयोग करने के लिए अधिकृत।
- "**केवाईसी**" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार, ग्राहक की पहचान और सत्यापन के उद्देश्य से एबीसीडीएल द्वारा अपनाए गए अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश है। "**शुल्क**" का तात्पर्य एबीसीडीएल द्वारा पीपीआई के उपयोग के लिए लगाए गए ऐसे शुल्क, लागत और प्रभार से है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता।
- "**ग्राहक सेवा केंद्र**" का अर्थ है एबीसीडीएल द्वारा प्रदान किया गया संपर्क केंद्र जो ग्राहक द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों, शिकायतों या पीपीआई के संबंध में ग्राहक द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी या विवरण को संबोधित करता।

है।

- **"व्यापारिक प्रतिष्ठान"** का अर्थ है ऐसे भौतिक प्रतिष्ठान (जिसमें स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, होटल आदि शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) और रीलोडेबल स्टोर (किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रूप में जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटप्लेस आदि शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) जो भारत में स्थित हैं, जिनका एबीसीडीएल के साथ एक विशिष्ट अनुबंध है (या भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान गेटवे / कार्ड नेटवर्क के माध्यम से एक अनुबंध है) पीपीआई स्वीकार करने के लिए।
- **"भुगतान चैनल"** का अर्थ है लेनदेन के विभिन्न तरीके जिसमें ईडीसी/ पीओएस/ टर्मिनल/ कियोस्क/ भुगतान गेटवे/मोबाइल आधारित भुगतान समाधान और समय-समय पर हमारे द्वारा सूचित किए गए विभिन्न अन्य तरीके शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- **"पीओएस"** या **"पॉइंट ऑफ सेल"** का अर्थ है व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा भारत में रखे गए इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल जहां ग्राहक पीपीआई का उपयोग कर सकता है।
- **"राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति"** या **"पीईपी"** का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं या रहे हैं, जिसमें राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं, जैसा कि आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है।
- **"विनियम"** का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए मास्टर निर्देश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, नियम, दिशानिर्देश, विनियम आदि जो भारत में प्रीपेड भुगतान साधनों के जारी करने और संचालन से संबंधित हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- **"शुल्क अनुसूची"** का अर्थ है शुल्क या प्रभारों का विवरण जो एबीसीडीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है और इन नियमों और शर्तों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है।
- **"लेनदेन"** का अर्थ है ग्राहक द्वारा किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, एटीएम या फंड ट्रांसफर पर पीपीआई का उपयोग करके शुरू किया गया कोई भी लेनदेन।
- **"सीमाएं"** का अर्थ होगा मास्टर निर्देश में बताए गए साधनों के मूल्य में सभी, जो ऐसे साधनों के अधिकतम मूल्य को इंगित करता है, जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित है, जो किसी भी धारक को जारी किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

पात्रता मानदंड

एबीसीडीएल से पीपीआई प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी ग्राहक द्वारा निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए:

- भारत में निवास करने वाला भारतीय नागरिक होना।
- पीपीआई को पंजीकृत करने, बनाने और उपयोग करने के लिए, ग्राहक को एबीसीडीएल को कुछ व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें ग्राहक का नाम, पैन, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, जन्म तिथि आदि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- कोई भी ग्राहक अपनी पहचान, आयु, अन्य जनसांख्यिकीय या अन्य ऐसी जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगा जो भारत के किसी भी कानून और नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक हो, जानबूझकर या गलती से, और पीपीआई का गलत उपयोग नहीं करेगा।

- एबीसीडीएल ग्राहक की पहचान को सत्यापित/प्रमाणित करने के लिए आगे की जांच कर सकता है। इस संबंध में, ग्राहक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी हमेशा सत्य, सटीक, सही और अपने ज्ञान के अनुसार पूर्ण हो।
- ग्राहक समय के साथ बदलने वाली किसी भी जानकारी को तुरंत अपडेट करने के लिए सहमत होता है ताकि उसकी निरंतर सटीकता सुनिश्चित हो सके।
- ग्राहक स्वीकार करता है कि सटीक जानकारी प्रदान करने में विफलता या सत्यापन अनुरोधों का पालन न करने पर पीपीआई सेवा तक पहुंच से इनकार, निलंबन या समाप्ति हो सकती है।
- हमारे पीपीआई या एबीसीडीएल ऐप तक पहुंचने या उसका उपयोग करने के लिए सामान्य रूप से वर्जित या निषिद्ध नहीं किया है।
- एबीसीडीएल के पास यह निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित है कि क्या कोई ग्राहक किसी भी एबीसीडीएल पीपीआई का उपयोग करने और हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली पीपीआई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र है या नहीं।

उत्पाद विशेषताएं

छोटे पीपीआई

- ग्राहक के न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद जारी किए जाते हैं जिसमें ओटीपी के साथ सत्यापित मोबाइल नंबर और नाम और पैन की स्व-घोषणा शामिल है।
- इनका उपयोग केवल उन व्यापारियों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है जिन्होंने एबीसीडीएल के साथ अनुबंध किया है (या भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान गेटवे के माध्यम से अनुबंध) छोटे पीपीआई को भुगतान साधन के रूप में स्वीकार करने के लिए। इनसे धन का हस्तांतरण या नकद निकासी की अनुमति नहीं है।
- प्रकृति में पुनः लोड करने योग्य है। लोडिंग / पुनः लोडिंग बैंक खाते / क्रेडिट कार्ड / पूर्ण केवाईसी पीपीआई से होगी।
- ग्राहक द्वारा केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा।
- पीपीआई जारी होने की तारीख से 24 (चौबीस) महीने की अवधि के भीतर पूर्ण केवाईसी पीपीआई में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके न होने पर ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट्स में कोई और क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ग्राहक को पीपीआई में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी (केवल छोटे पीपीआई के लिए जहां नकद लोडिंग की अनुमति है)।
- बंद होने पर, ग्राहक के पास पीपीआई से 'स्रोत पर वापस' (यानी वह भुगतान स्रोत जहां से पीपीआई लोड किया गया था) बंद होने की आय को स्थानांतरित करने का विकल्प होगा।
- वैकल्पिक रूप से, ग्राहक के पास बंद होने की आय को किसी अन्य बैंक खाते में स्थानांतरित करने का विकल्प होगा, ऐसे तरीके से जो समय-समय पर लागू आरबीआई नियमों के तहत अनुमत हो, बशर्ते कि ग्राहक पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी करता है। ऐसा धन हस्तांतरण इस संबंध में एबीसीडीएल द्वारा समय-समय पर अपने विवेक से निर्धारित सीमाओं के अधीन होगा, जिसमें ग्राहक के जोखिम प्रोफ़ाइल, अन्य परिचालन जोखिमों आदि पर विचार करना शामिल है, जो सीमाएं ग्राहक पर बाध्यकारी होंगी।

- विस्तृत उत्पाद सीमाओं के लिए कृपया इस दस्तावेज़ के "सीमाएँ" खंड का संदर्भ लें।
- ये पीपीआई स्थायी वैधता वाले होंगे (नकद लोडिंग सुविधा के साथ जारी किए गए पीपीआई को छोड़कर जिन्हें जारी होने के 24 महीनों के भीतर पूर्ण केवाईसी में परिवर्तित किया जाना है)। यदि कार्ड के रूप में जारी किया गया है, तो कृपया कार्ड पर उल्लिखित वैधता अवधि का संदर्भ लें; ग्राहक के पास कार्ड के प्रतिस्थापन का विकल्प होगा।

पूर्ण केवाईसी पीपीआई

- ग्राहक का पूर्ण केवाईसी पूरी करने के बाद जारी किए जाते हैं।
- इसे पुनः लोड किया जा सकता है। लोडिंग / पुनः लोडिंग बैंक खाते / क्रेडिट कार्ड से होगी।
- ग्राहक द्वारा इसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, धन हस्तांतरण या नकद निकासी के लिए किया जाएगा।
- धनराशि को 'स्रोत खाते में वापस' (भुगतान स्रोत जहां से पीपीआई लोड किया गया था) या 'ग्राहक के स्वयं के बैंक खाते' (एबीसीडीएल द्वारा सत्यापित) में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे धन हस्तांतरण एबीसीडीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अधीन होंगे, जिसमें ग्राहक के जोखिम प्रोफ़ाइल, अन्य परिचालन जोखिमों आदि पर विचार करना शामिल है, जो सीमाएँ ग्राहक पर बाध्यकारी होंगी।
- विस्तृत उत्पाद सीमाओं के लिए कृपया इस दस्तावेज़ के "सीमाएँ" खंड का संदर्भ लें।
- उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन इन पीपीआई की वैधता स्थायी होगी। यदि कार्ड के रूप में जारी किया गया है, तो कृपया कार्ड पर उल्लिखित वैधता अवधि देखें; ग्राहक के पास कार्ड को बदलने का विकल्प होगा।
- ग्राहक अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करके 3 (तीन) 'पूर्व-पंजीकृत लाभार्थियों' तक जोड़ सकते हैं। प्रत्येक ऐसे पूर्व-पंजीकृत लाभार्थी के मामले में, धन हस्तांतरण की सीमा प्रति माह प्रति लाभार्थी 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। अन्य सभी लाभार्थियों के मामले में, धन हस्तांतरण की सीमा प्रति माह 10,000 रुपये तक सीमित होगी।
- ऐसे पूर्ण केवाईसी पीपीआई के ग्राहक 30 (तीस) मिनट के कूलिंग अवधि के अधीन होंगे जिसके दौरान धन हस्तांतरण और नकद निकासी प्रतिबंधित होगी।

उपहार पीपीआई

- इसे पुनः लोड किया जा सकता है।
- ग्राहक द्वारा केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा।
- ऐसे उपकरण के लिए नकद निकासी या धन हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी, हालांकि, आपकी सहमति और निर्देशों के आधार पर, हम उपहार पीपीआई में धनराशि को उस स्रोत खाते में वापस स्थानांतरित कर सकते हैं जहां से उपहार पीपीआई प्रारंभ में लोड किया गया था।
- ग्राहक के अनुरोध पर पुनः वैध किया जा सकता है।
- विस्तृत उत्पाद सीमाओं के लिए कृपया इस दस्तावेज़ के "सीमाएँ" खंड का संदर्भ लें।

- ये पीपीआई 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। यदि कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, तो कृपया कार्ड पर उल्लिखित वैधता अवधि का संदर्भ लें; ग्राहक के पास कार्ड को बदलने का विकल्प होगा।

पीपीआई - एमटीएस

- प्रकृति में पुनः लोड करने योग्य हैं।
- ग्राहक द्वारा केवल मेट्रो, बसों, रेल, और जलमार्ग, टोल और पार्किंग जैसे विभिन्न सार्वजनिक परिवहन माध्यमों के लिए भुगतान हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- ऐसे पीपीआई में बकाया राशि किसी भी समय 3,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।
- ऐसे पीपीआई में नकद निकासी, धनवापसी या धन हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी।
- इन पीपीआई की वैधता स्थायी होगी। यदि कार्ड के रूप में जारी किया गया है, तो कृपया कार्ड पर उल्लिखित वैधता अवधि देखें; ग्राहक के पास कार्ड को बदलने का विकल्प होगा।
- एबीसीडीएल पीपीआई-एमटीएस जारी करने से पहले ग्राहकों से न्यूनतम विवरण और दस्तावेज प्रदान करने की मांग कर सकता है।

सह-ब्रांडेड पीपीआई

- यह पीपीआई श्रेणी एबीसीडीएल द्वारा अपने 'सह-ब्रांडिंग भागीदार' के रूप में तृतीय पक्षों के साथ साझेदारी में जारी की जाती है।
- 'सह-ब्रांडिंग साझेदार' के साथ व्यवस्था के अनुसार इसे पुनः लोड किया जा सकता है अथवा नहीं भी किया जा सकता है।
- ये पीपीआई कार्ड, वॉलेट, या किसी अन्य रूप में जारी किए जा सकते हैं जैसा कि एबीसीडीएल और 'सह-ब्रांडिंग भागीदार' के बीच सहमति हुई हो।

पीपीआई का जारी करना और उपयोग

- पीपीआई एबीसीडीएल की एकमात्र संपत्ति होगी।
- पीपीआई केवल भारत के क्षेत्र में और भारतीय रुपये में लेनदेन के लिए ही मान्य होगा। पीपीआई का उपयोग भारत के क्षेत्र के बाहर या विदेशी मुद्रा में किसी भी लेनदेन के लिए नहीं किया जा सकता है।
- पीपीआई किसी भी परिस्थिति में अन्य व्यक्ति या तृतीय पक्ष को हस्तांतरणीय नहीं होगा।
- एबीसीडीएल गिफ्ट PPI का उपयोग म्यूचुअल फंड, शिक्षा, सरकारी, बीमा और कृषि श्रेणियों में वर्गीकृत व्यापारियों के यहाँ नहीं किया जा सकेगा।
- एबीसीडीएल किसी भी समय पीपीआई में रखी गई किसी भी शेष राशि पर कोई ब्याज, लागत या शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ग्राहक को पीपीआई पर उपलब्ध संपूर्ण क्रेडिट बैलेंस को इसकी समाप्ति से पहले उपयोग करना होगा। यदि

ग्राहक वैधता अवधि के भीतर पीपीआई पर उपलब्ध क्रेडिट बैलेंस का उपयोग नहीं करता है, तो ग्राहक अप्रयुक्त शेष राशि का दावा करने के लिए एबीसीडीएल से संपर्क कर सकता है। यदि ग्राहक समाप्ति तिथि से 3 (तीन) वर्षों के भीतर एबीसीडीएल से संपर्क नहीं करता है, तो पीपीआई पर उपलब्ध बकाया क्रेडिट बैलेंस एबीसीडीएल के लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

- ग्राहक व्यापारी प्रतिष्ठान में संपन्न प्रत्येक लेनदेन के लिए उत्पन्न सभी चार्ज स्लिप रखेगा। एबीसीडीएल ग्राहक को चार्ज स्लिप या लेनदेन स्लिप की प्रतियां प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ग्राहक द्वारा ऐसा कोई भी अनुरोध हमारे एकमात्र विवेक पर होगा और बशर्ते कि ऐसे अनुरोध ग्राहक द्वारा लेनदेन की तारीख से पैतालीस (45) व्यावसायिक दिनों के भीतर किए गए हों। ग्राहक सहमत है कि एबीसीडीएल चार्ज या लेनदेन स्लिप की प्रतियां प्रदान करने के लिए अतिरिक्त लागत या शुल्क लगाने का हकदार होगा।
- किसी भी लेनदेन के संबंध में व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा लगाया गया कोई भी शुल्क या लागत सीधे ग्राहक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ निपटाया जाएगा। एबीसीडीएल व्यापारी प्रतिष्ठान के किसी भी कार्य या चूक के लिए या लेनदेन के संबंध में उनके द्वारा लगाए गए शुल्क या लागत के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।
- डिवाइस त्रुटि या संचार लिंक के कारण किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान को देय सभी धनवापसी और समायोजन मैनुअल रूप से संसाधित किए जाएंगे और पीपीआई को लागू नियमों, विनियमन और हमारी आंतरिक नीति के अनुसार एबीसीडीएल द्वारा उचित सत्यापन के बाद क्रेडिट किया जाएगा। ग्राहक सहमत है कि कोई भी बाद का लेनदेन केवल एबीसीडीएल द्वारा विचाराधीन किसी भी विवादित राशि पर विचार किए बिना खाते में उपलब्ध क्रेडिट शेष के आधार पर स्वीकार या सम्मानित किया जाएगा।
- ग्राहक पीपीआई में अपर्याप्त धनराशि के कारण भुगतान निर्देशों का अनादर करने के कारण हमें हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बिना शर्त एबीसीडीएल को क्षतिपूर्ति करेगा। ग्राहक सहमत है कि एबीसीडीएल ऐसे नुकसान या क्षति की राशि को सीधे पीपीआई से काटने का हकदार होगा।
- ग्राहक इस बात को स्वीकार करता है और सहमत है की पीपीआई से सभी लेनदेन के संबंध में हमेशा सद्भावना से कार्य करेगा। ग्राहक इसमें निहित नियमों और शर्तों के उल्लंघन में पीपीआई के किसी भी गैरकानूनी या गलत उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है।
- ग्राहक एतद्वारा सहमत होता है कि वह किसी भी वस्तु और सेवाओं के भुगतान के लिए पीपीआई का उपयोग नहीं करेगा, जो कानूनों के तहत अवैध है। पीपीआई का उपयोग लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या निषिद्ध पत्रिकाओं, स्वीपस्टेक में भागीदारी, बिटकॉइन की खरीद, कॉल-बैक सेवाओं के लिए भुगतान आदि जैसे निषिद्ध या निषिद्ध उत्पादों या सेवाओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है।
- ग्राहक एतद्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि यदि पीपीआई की वैधता के अधीन, पीपीआई पर एक (1) वर्ष की लगातार अवधि के लिए कोई लेनदेन नहीं होता है, तो उसे ग्राहक को एक संचार भेजने के बाद एबीसीडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पीपीआई को केवल एबीसीडीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित सत्यापन और आवश्यक उचित परिश्रम के बाद ही पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
- ग्राहक एतद्वारा पीपीआई का उपयोग करके किए गए सभी लेनदेन के लिए एबीसीडीएल से एसएमएस या ईमेल अलर्ट प्राप्त करने के लिए सहमत होता है। हमारे एसएमएस या ईमेल अलर्ट में डेबिट और क्रेडिट लेनदेन, पीपीआई पर उपलब्ध शेष राशि या ऐसी अन्य जानकारी या विवरण जो एबीसीडीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएं का उल्लेख किया जाएगा।
- ग्राहक सहमत है कि एबीसीडीएल अपने विवेक से, पीपीआई के संबंध में सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक या आवश्यक शर्तों पर बाहरी सेवा प्रदाता(ओं) या एजेंट(ओं) की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

- ग्राहक को समय-समय पर एबीसीडीएल द्वारा हमारी वेबसाइट या एप्लिकेशन पर अपलोड किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("एफएक्यू") तक पहुंच होगी।
- यदि आपके पास एमपिन के साथ वॉलेट के माध्यम से यूपीआई भुगतान करने के लिए सत्यापित मोबाइल नंबर के साथ एक वैध और परिचालन एबीसीडीएल पूर्ण केवाईसी पीपीआई है, तो ग्राहक यूपीआई सेवाओं (नीचे वर्णित) का उपयोग कर सकता है।
- यूपीआई सेवाओं का उपयोग करके, आप एबीसीडीएल को अपने मोबाइल डिवाइस क्रेडेंशियल्स तक पहुंचने के लिए अपनी स्पष्ट और स्पष्ट सहमति प्रदान करते हैं, जिसमें मोबाइल डिवाइस पहचान संख्या और सिम पहचान संख्या (एन्क्रिप्टेड रूप में या अन्यथा) शामिल है, ताकि एबीसीडीएल आपके एबीसीडीएल के साथ आयोजित एबीसीडीएल पूर्ण केवाईसी पीपीआई को सत्यापित/प्रमाणित कर सके और/या ऐसे पीपीआई के संबंध में आपके द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन को सक्षम कर सके, अन्य बातों के साथ-साथ एबीसीडीएल को किसी भी संभावित धोखाधड़ी या दुरुपयोग की पहचान/पता लगाने में सक्षम बना सके, और/या किसी भी अन्य समान उद्देश्यों के लिए।
- आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पूर्ण केवाईसी पीपीआई पर एबीसीडीएल यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं:

कृपया ध्यान दें कि यह एबीसीडीएल पीपीआई यूपीआई सेवा एबीसीडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली यूपीआई सेवाओं से अलग है।

1. अपने खाता क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एबीसीडीएल ऐप ("एबीसीडीएल यूपीआई") पर अपने एबीसीडीएल पीपीआई में साइन-इन करें; (कृपया ध्यान दें कि सिम उस डिवाइस में डाला गया है जिस पर एबीसीडीएल ऐप एक्सेस किया जा रहा है)।
2. यदि आप एबीसीडीएल पीपीआई के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको पहले एबीसीडीएल पीपीआई के लिए पंजीकरण करना होगा। सफलतापूर्वक पंजीकरण और आपके मोबाइल नंबर के सत्यापन के बाद, एबीसीडीएल यूपीआई पीपीआई पर सेवाएं आपके एबीसीडीएल पीपीआई के लिए सक्रिय / सक्षम की जाएंगी, लागू केवाईसी आवश्यकताओं के अधीन।
3. एक बार जब आपका मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाता है और यूपीआई सेवाएं सक्रिय / सक्षम हो जाती हैं आपके एबीसीडीएल पीपीआई के लिए, आपको एक वर्चुअल भुगतान पता जारी किया जाएगा जो आपके एबीसीडीएल पीपीआई ("एबीसीडीएल यूपीआई आईडी") से जुड़ा होगा। उसके बाद आप यूपीआई के माध्यम से पीपीआई अंतर-संचालनीयता लेनदेन करने के लिए उक्त यूपीआई वीपीए का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने बाद के लेनदेन के लिए एबीसीडीएल और एबीसीडीएल ऐप के साथ अपने यूपीआई वीपीए को सहेजने की सहमति देते हैं।
4. व्यापारी को भुगतान करने के लिए यूपीआई सेवा का उपयोग करें: एनपीसीआई द्वारा समय-समय पर परिभाषित किए गए अनुसार व्यापारी पर अपने लेनदेन के लिए भुगतान विधि के रूप में पीपीआई पर यूपीआई का चयन करें। (केवल पूर्ण केवाईसी ग्राहकों के लिए लागू) आप ध्यान दें, कुछ व्यापारी या प्लेटफॉर्म यूपीआई या पीपीआई का समर्थन नहीं कर सकते हैं; एबीसीडीएल ऐसी सीमाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. यूपीआई लेनदेन सीमाएं: पीपीआई सेवाओं पर एबीसीडीएल यूपीआई का उपयोग करके आपके द्वारा किया गया प्रत्येक यूपीआई लेनदेन प्रति दिन 1,00,000 रुपये या एनपीसीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी सीमा से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन आप एबीसीडीएल यूपीआई के सक्रियण के

बाद 24 घंटों के भीतर केवल अधिकतम 5,000 रुपये की कुल राशि भेज या प्राप्त कर सकते हैं पीपीआई सेवाओं पर। ये सीमाएं लेनदेन प्रकार, जोखिम मूल्यांकन या नियामक अपडेट के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।

6. एबीसीडीएल अपने एकमात्र विवेक पर यूपीआई या पीपीआई सेवाओं को निलंबित या निष्क्रिय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें नियामक गैर-अनुपालन, संदिग्ध गतिविधि या केवाईसी विफलता शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
7. ग्राहक अपने उपकरण और प्रमाणपत्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। एबीसीडीएल उपकरण समझौता, सिम स्वैप या प्रमाणपत्रों के साझाकरण के मामले में किसी भी अनधिकृत यूपीआई लेनदेन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि शिकायत निवारण प्रक्रिया के अनुसार तुरंत घटना की रिपोर्ट नहीं की जाती है।
8. यूपीआई सेवाओं का उपयोग करते समय ग्राहक को एबीसीडीएल ऐप में प्रदान किए गए यूपीआई सेवाओं से संबंधित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

दस्तावेजीकरण

- सही और अद्यतन ग्राहक जानकारी का संग्रह, सत्यापन, लेखा परीक्षा और रखरखाव एक निरंतर प्रक्रिया है, और एबीसीडीएल किसी भी समय, सभी प्रासंगिक और लागू केवाईसी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एबीसीडीएल किसी भी समय पीपीआई के लिए सेवाओं को बंद करने/आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी और/या दस्तावेजीकरण में विसंगतियां हैं।
- पीपीआई को सुरक्षित करने के इरादे से एबीसीडीएल को प्रदान की गई कोई भी जानकारी एबीसीडीएल के पास निहित होगी, और हमारे द्वारा किसी भी लागू कानून या नियम के अनुरूप किसी भी उद्देश्य के लिए, हमारे एकमात्र विवेक पर उपयोग की जा सकती है।
- ग्राहक द्वारा एबीसीडीएल को किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी माध्यम से प्रदान की गई किसी भी जानकारी के लिए, ग्राहक उस जानकारी की सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यदि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो एबीसीडीएल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और उस जानकारी के कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं है।

पर्याप्त शेष राशि का रखरखाव

एबीसीडीएल द्वारा जारी किए गए पीपीआई के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि आवश्यकता नहीं है।

सीमाएँ

विवरण	छोटा पीपीआई (नकद लोडिंग के साथ)	छोटा पीपीआई (नकद लोडिंग के बिना)	पूर्ण-केवाईसी पीपीआई	उपहार पीपीआई
-------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------

किसी भी समय बनाए रखी जा सकने वाली अधिकतम शेष राशि	10,000 रुपये	10,000 रुपये	2,00,000 रुपये	10,000 रुपये
प्रति लेनदेन नकद निकासी सीमा	अनुमति नहीं है	अनुमति नहीं है	2,000 रुपये	अनुमति नहीं है
मासिक नकद निकासी सीमा	अनुमति नहीं है	अनुमति नहीं है	10,000 रुपये	अनुमति नहीं है
पंजीकृत बैंक खाते या वॉलेट में मासिक फंड ट्रांसफर	अनुमति नहीं है	अनुमति नहीं है	2,00,000 रुपये	अनुमति नहीं है
पीपीआई पर प्रति दिन अधिकतम यूपीआई सीमा	लागू नहीं है	लागू नहीं है	1,00,000 रुपये	लागू नहीं है
लॉडिंग और रीलॉडिंग पर कूलिंग अवधि	लागू नहीं है	लागू नहीं है	सक्रियण के समय से पहले 24 घंटों के लिए ₹25,000 तक एवं 30 मिनट#	लागू नहीं है
पीपीआई पर यूपीआई के लिए कूलिंग अवधि	लागू नहीं है	लागू नहीं है	सक्रियण के समय से पहले 24 घंटों के लिए 5,000 रुपये तक	लागू नहीं है

#फंड ट्रांसफर लेनदेन के लिए नए लाभार्थी जोड़ने पर फुल केवाईसी पीपीआई पर कूलिंग अवधि लागू होगी।

वैधता और समाप्ति

- कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी पीपीआई कार्ड्स की न्यूनतम वैधता अवधि पीपीआई में अंतिम लोडिंग/रीलॉडिंग की तिथि से 1 वर्ष होगी।
- कार्ड के रूप में जारी किए गए पीपीआई के मामले में, वैधता अवधि कार्ड पर उल्लिखित होगी, (ग्राहक के पास कार्ड के प्रतिस्थापन की मांग करने का विकल्प होगा)।
- ग्राहक पीपीआई की समाप्ति पर उसे समाप्त करने के लिए सहमत होता है तथा वचनबद्धता व्यक्त करता है।
- ग्राहक इस बात से सहमत है कि वह पीपीआई की समाप्ति से पहले उस पर लगाए गए किसी भी शुल्क के लिए उत्तरदायी रहेगा।
- एबीसीडीएल अपने एकमात्र विवेक पर पीपीआई को समाप्त कर सकता है, यदि: a) ग्राहक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या ग्राहक की मृत्यु हो जाती है। b) किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या भारत में किसी नियामक या वैधानिक प्राधिकरण या किसी जांच एजेंसी द्वारा जारी आदेश द्वारा ग्राहक पर लगाया गया कोई प्रतिबंध।

- एबीसीडीएल, अपने एकमात्र विवेक पर, पीपीआई पर विशेषाधिकारों को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से वापस लेने और/या किसी भी समय बिना किसी सूचना या कारण बताए पीपीआई को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अस्थायी वापसी के मामले में, पीपीआई से जुड़े विशेषाधिकार एबीसीडीएल द्वारा अपने एकमात्र विवेक पर बहाल किए जाएंगे।
- स्थायी वापसी के मामले में, हमें पीपीआई को स्थायी रूप से रद्द करने का अधिकार है। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि वापसी (अस्थायी या स्थायी) पीपीआई से जुड़े सभी लाभों, विशेषाधिकारों और सेवाओं की स्वचालित वापसी होगी। ग्राहक सहमत है कि पीपीआई की अस्थायी या स्थायी वापसी की स्थिति में, ग्राहक ऐसी वापसी से पहले पीपीआई पर लगाए गए सभी शुल्कों के साथ-साथ उस पर लागू सभी अन्य शुल्कों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी रहेगा, जब तक कि एबीसीडीएल द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।
- यदि एबीसीडीएल अस्थायी या स्थायी रूप से, विशेषाधिकारों को वापस लेता है या पीपीआई को समाप्त करता है, तो हम सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर, तुरंत ग्राहक को सूचित करेंगे। हम ऐसी सूचना की प्राप्ति में किसी भी देरी या चूक के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होंगे।
- एबीसीडीएल द्वारा पीपीआई की समाप्ति पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पीपीआई में पड़ी कोई भी शेष राशि, यदि कोई हो, ग्राहक के स्पष्ट अनुरोध और उचित सत्यापन पर ग्राहक के वैकल्पिक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- समाप्ति के लिए:
 - a. यदि शेष राशि ₹0.00/- है, तो समाप्ति तुरंत प्रभाव से की जाएगी।
 - b. यदि शेष राशि ₹0.00/- से ₹1.00/- के बीच है, तो उपलब्ध शेष राशि जब्त कर ली जाएगी।
 - c. यदि शेष राशि ₹1.00/- से अधिक है, तो ग्राहक को पूर्ण केवाईसी (यदि पहले से पूरी नहीं की गई हो) पूरी करनी होगी।

उल्लंघन

ग्राहक द्वारा इन नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, एबीसीडीएल, लागू कानूनों या अनुबंध के तहत अपने किसी भी अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बिना किसी देयता, दावे, मांग या हमारे खिलाफ विवाद के पीपीआई को तुरंत रद्द या समाप्त करने का एकमात्र अधिकार रखता है।

शुल्क

- शुल्क में शामिल होंगे: 1) एबीसीडीएल द्वारा पीपीआई के संबंध में लगाए गए कोई भी शुल्क, जिसमें होस्टिंग और अन्य शुल्क, यदि कोई हों, शामिल हैं। 2) विशिष्ट प्रकार के लेनदेन पर सेवा शुल्क। ऐसे शुल्कों की गणना की विधि समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।
- शुल्क प्रकृति में अप्रतिदेय, अहस्तांतरणीय और अनासाइनेबल होंगे।
- स्पष्ट त्रुटि की अनुपस्थिति में, सभी शुल्क ग्राहक पर अंतिम और बाध्यकारी होंगे और निर्णायक प्रकृति के होंगे।
- माल और सेवा कर, आयात शुल्क, कर्तव्य (किसी भी प्रकार के विवरण) सहित सभी वैधानिक कर जो भारत सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा पीपीआई के संबंध में या उसके संबंध में समय-समय पर लगाए जा सकते हैं, ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे।
- पीपीआई से संबंधित सभी शुल्क पीपीआई से डेबिट किए जाएंगे, जैसा कि समय-समय पर लगाया जा सकता है।

पीपीआई के उपयोग से शुल्क लगने पर ग्राहक को तुरंत भुगतान करना होगा।

- एबीसीडीएल ग्राहक के पीपीआई में शेष राशि से लेनदेन के लिए लागू शुल्क वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- एबीसीडीएल ग्राहक के पीपीआई खाते में नकारात्मक शेष की अनुमति नहीं देगा। यदि कोई लेनदेन पीपीआई को नकारात्मक में ले जाता है, तो एबीसीडीएल के पास ऐसे किसी भी लेनदेन के संबंध में कोई भुगतान न करने का अधिकार है।
- शुल्क डेबिट करने के लिए ग्राहक के पीपीआई में धन की कमी के मामले में, एबीसीडीएल पीपीआई में धन उपलब्ध होने पर ग्राहक के पीपीआई से ऐसे बकाया सेवा शुल्क डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ग्राहक सहमत है और समझता है कि एबीसीडीएल अपने विवेक से विभिन्न भुगतान तरीकों से पीपीआई में धन लोड करने और/या बैंक खातों में धन हस्तांतरण पर सीमाएं और/या शुल्क लगा सकता है।
- ऐसे शुल्कों की गणना की विधि समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी, या जहां लागू हो, ग्राहक को किसी भी नए या संशोधित शुल्क के लागू होने से पहले सूचित किया जाएगा। पीपीआई का उपयोग जारी रखकर, ग्राहक को ऐसे अपडेट किए गए शुल्कों के लिए सहमति दी गई मानी जाएगी। शुल्क अनुसूची के लिए कृपया अनुबंध 1 देखें।

अनधिकृत पहुंच, खोए या चोरी हुए पीपीआई:

- ग्राहक पीपीआई की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा कि पीपीआई का दुरुपयोग न हो। यदि एबीसीडीएल यह निर्धारित करता है या कोई जानकारी प्राप्त करता है कि ग्राहक ने ऊपर बताए गए कदमों को लेने में लापरवाही की है या समझौता किया है या इनकार किया है या विफल रहा है, तो हम ऐसे पीपीआई को रद्द करने या समाप्त करने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- कार्ड के खो जाने/चोरी होने/दुरुपयोग की रिपोर्टिंग के समय और/या उस पर किए गए लेनदेन से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, एबीसीडीएल विवादित लेनदेन के समय और/या प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ग्राहक पीपीआई के अनधिकृत और अवैध उपयोग को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा। ग्राहक एबीसीडीएल द्वारा अधिकृत और इच्छित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से पीपीआई का उपयोग/एक्सेस न करने के लिए सहमत है। एबीसीडीएल के पास पीपीआई को अक्षम करने का अधिकार है।
- एप्लिकेशन के उपयोग या अपने एकमात्र विवेक से ऐसे अन्य कार्य करने के लिए। एबीसीडीएल भारत में उपलब्ध व्यावसायिक रूप से उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, इस एप्लिकेशन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली एप्लिकेशन और सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए व्यावसायिक रूप से उचित देखभाल करेगा।
- कार्ड के रूप में जारी किए गए भौतिक पीपीआई के मामले में, यदि कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो ग्राहक को तुरंत इस तरह के नुकसान/चोरी की रिपोर्ट एबीसीडीएल को करनी चाहिए। हालांकि, चोरी के कारण कार्ड के नुकसान के मामले में, ग्राहक को स्थानीय पुलिस के साथ एक एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए और एबीसीडीएल द्वारा अनुरोध किए जाने पर उसकी एक प्रति प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। एबीसीडीएल, पर्याप्त सत्यापन के बाद, कार्ड को निलंबित कर देगा और उससे संबंधित सभी सुविधाओं को समाप्त कर देगा और ग्राहक को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ग्राहक इस तथ्य का संज्ञान लेगा कि एक बार कार्ड के खोने, चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की सूचना दे दी जाती है, तो कार्ड का फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है, भले ही वह बाद में मिल जाए। ग्राहक घोषणा करता है कि यदि कार्ड के खोने, क्षतिग्रस्त होने या चोरी होने की सूचना दी जाती है, तो इसका फिर से उपयोग नहीं किया

जाएगा, भले ही बाद में यह मिल जाए या गैर-क्षतिग्रस्त स्थिति में होने का दावा किया जाए। ऐसे मामलों में, कार्ड सदस्य तुरंत कार्ड को 4 टुकड़ों में काट देगा।

- डिजिटल पीपीआई के मामले में, यदि आपका फोन या सिम कार्ड खो गया है, तो आपको तुरंत इस घटना की रिपोर्ट करनी होगी। ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर, हम आपके विवरण को सत्यापित करेंगे और सुरक्षा कारणों से संबंधित एबीसीडीएल पीपीआई को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर देंगे। आप सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि एबीसीडीएल पूर्वोक्त घटना से उत्पन्न किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

दायित्व का अपवर्जन

- एबीसीडीएल ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष के प्रति किसी भी विशेष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी, दंडात्मक या उदाहरणात्मक हानि या क्षति (सांविधिक सहित) के संबंध में कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसमें बिना किसी सीमा के लाभ या राजस्व की हानि, व्यवसाय में व्यवधान, व्यावसायिक अवसरों की हानि, डेटा की हानि या अन्य आर्थिक हितों की हानि शामिल है, चाहे वह अनुबंध, लापरवाही, अपकृत्य या अन्यथा हो, भले ही एबीसीडीएल को इस व्यवस्था के संबंध में ऐसी क्षति की संभावना के बारे में सलाह दी गई हो।
- इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, इन नियमों और शर्तों के तहत एबीसीडीएल का कुल दायित्व दावे की तारीख से तुरंत पहले के 3 महीनों के दौरान एबीसीडीएल द्वारा प्राप्त और बरकरार रखे गए शुद्ध शुल्क से अधिक नहीं होगा।

विवादित लेनदेन

- भुगतान के लिए हमारे द्वारा प्राप्त कोई भी शुल्क या लेनदेन पर्ची या अन्य भुगतान मांग ऐसे शुल्क का निर्णायक प्रमाण होगा, जब तक कि पीपीआई का धोखाधड़ी से दुरुपयोग न किया गया हो और ग्राहक द्वारा प्रमाणित न किया गया हो। हालांकि, यदि कोई ऐसा ग्राहक द्वारा ऐसा प्रमाण प्रदान करने से पहले हमारे द्वारा भुगतान किया जा चुका है तो एबीसीडीएल का ऐसे भुगतान के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।
- पीपीआई से संबंधित सभी विवादित लेनदेन को विवादित लेनदेन की तिथि से 15 कार्य दिवसों के भीतर एबीसीडीएल के ग्राहक सेवा केंद्र के साथ उठाया जाना आवश्यक होगा। ग्राहक स्वीकार करता है कि विवादित लेनदेन की तिथि से 15 कार्य दिवसों के बाद किसी भी अनुरोध को हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

समायोजन और ग्रहणाधिकार का अधिकार

एबीसीडीएल को किसी अन्य ग्रहणाधिकार या शुल्क की परवाह किए बिना, वर्तमान और भविष्य दोनों में, पीपीआई में रखी गई धनराशि पर, ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के कारण उत्पन्न होने वाली सभी बकाया राशि की सीमा तक, समायोजन और ग्रहणाधिकार का अधिकार होगा।

हानि से सुरक्षा

- ग्राहक एबीसीडीएल और/या उसके सहयोगियों, सहायक कंपनियों, संबंधित पक्षों और उनके संबंधित अधिकारियों, निदेशकों, एजेंटों और कर्मचारियों को किसी भी और सभी दावों, हानि, क्षति और देनदारियों, पुरस्कारों, निर्णयों, लागतों और खर्चों से क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखने के लिए सहमत है, जिसमें बिना किसी सीमा के कानूनी फीस और खर्च शामिल हैं, जो एबीसीडीएल द्वारा जारी पीपीआई के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न या उससे संबंधित हैं या इसमें निहित प्रतिनिधित्व, वारंटियां और वाचाओं सहित इन नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के कारण या आपके द्वारा किसी भी विनियमन या लागू कानून के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं।
- किसी भी स्थिति में एबीसीडीएल किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें बिना किसी

सीमा के लाभ या राजस्व की हानि, व्यापार में रुकावट, व्यापार के अवसरों की हानि, डेटा की हानि या अन्य आर्थिक हितों की हानि के लिए क्षति शामिल है, चाहे वह अनुबंध, लापरवाही, अपकार या अन्यथा में हो, भले ही एबीसीडीएल को एबीसीडीएल द्वारा जारी पीपीआई के आपके उपयोग या उपयोग करने में असमर्थता से उत्पन्न होने वाली ऐसी क्षति या हानि की संभावना के बारे में सूचित किया गया हो, एबीसीडीएल की ओर से घोर लापरवाही या जानबूझकर चूक के कारण होने वाली प्रत्यक्ष हानि के मामले को छोड़कर।

वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता

- एबीसीडीएल व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई सेवा, माल और सेवाओं की गुणवत्ता, व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा पीपीआई को स्वीकार करने से इनकार (सशर्त स्वीकृति) और व्यापारिक प्रतिष्ठान में पीपीआई का उपयोग करने में असमर्थता (तकनीकी मुद्दे) के संबंध में ग्राहक को हुई किसी भी हानि, क्षति या चोट के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
- किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ किसी भी खरीदे गए सामान या प्राप्त की गई सेवाओं के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का समाधान ग्राहक द्वारा सीधे व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ किया जाना चाहिए।
- एबीसीडीएल की जिम्मेदारी पीपीआई के डेबिट करने और किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को बाद में भुगतान करने तक सीमित है, जिसमें वित्तीय सेवाएं या बैंक को स्थानांतरण शामिल हैं। एबीसीडीएल किसी भी सामान और/या सेवाओं का समर्थन, प्रचार या वारंटी नहीं देता है जो पीपीआई का उपयोग करके खरीदे/प्राप्त किए जा सकते हैं या खरीदे/प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव किया जा सकता है।

प्रकटीकरण

- ग्राहक ग्राहक से संबंधित जानकारी और पीपीआई के उपयोग को किसी भी वित्तीय या वैधानिक या नियामक प्राधिकरण के साथ साझा करने के लिए स्वीकार करता है और सहमति देता है, केवल किसी भी वित्तीय दुरुपयोग / धोखाधड़ी / कानूनी मामलों के मामले में जहां आरबीआई, कोई नियामक प्राधिकरण, भारत सरकार या न्यायालय हमें ऐसी जानकारी का खुलासा करने का निर्देश देता है।
- ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि हम किसी भी वित्तीय या वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों को किसी भी ग्राहक की चूक और/या पीपीआई के उपयोग की रिपोर्ट कर सकते हैं, केवल किसी भी वित्तीय दुरुपयोग/धोखाधड़ी/कानूनी मामलों के मामले में जहां आरबीआई, कोई नियामक प्राधिकरण, भारत सरकार या न्यायालय हमें ऐसी जानकारी का खुलासा करने का निर्देश देता है। हम ऐसे वित्तीय या वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के विवरण को ग्राहक को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, जिसमें ऐसे प्रकटीकरण की सीमा शामिल है, जब तक कि आरबीआई, कोई नियामक प्राधिकरण, भारत सरकार या न्यायालय हमें उक्त वित्तीय संस्था का नाम प्रकट करने की अनुमति नहीं देता।
- ग्राहक हमें और हमारे एजेंटों को ग्राहक के विवरण और भुगतान इतिहास से संबंधित सभी सूचनाओं का आदान-प्रदान, साझा करने या उन्हें हमारे समूह की कंपनियों या सहयोगियों के साथ साझा करने के लिए अधिकृत करता है, केवल किसी वित्तीय दुरुपयोग/धोखाधड़ी/कानूनी मामलों के मामले में जहां आरबीआई, कोई नियामक प्राधिकरण, भारत सरकार या न्यायालय हमें ऐसी जानकारी का खुलासा करने का निर्देश देता है।
- ग्राहक को सूचित किया जाता है कि एबीसीडीएल हमारे एबीसीडीएलएप तक समान पहुंच के तहत पीपीआई और अन्य सेवाएं प्रदान करता है।
- ग्राहक इस बात को स्वीकार करता है और सहमति देता है कि यदि पीपीआई उसे कॉर्पोरेट कार्यक्रम के तहत जारी किया गया है तो वह कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ पीपीआई के उपयोग से संबंधित जानकारी साझा करेगा।
- ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि उनकी व्यक्तिगत और लेनदेन संबंधी जानकारी एबीसीडीएल

द्वारा नियुक्त तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं के साथ साझा की जा सकती है, जो सेवाओं को सुविधाजनक बनाने, समर्थन करने या बढ़ाने के उद्देश्यों के लिए है। ऐसा साझाकरण लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा।

नियम और शर्तों का संशोधन

- एबीसीडीएल के पास इन नियमों और शर्तों, विशेषताओं और पीपीआई पर प्रदान किए गए लाभों को बदलने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित है, जिसमें शुल्क शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- एबीसीडीएल संशोधित नियम और शर्तों को अपने एप्लिकेशन पर होस्ट करके या एबीसीडीएल द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से संप्रेषित करेगा।
- ग्राहक इन नियमों और शर्तों की नियमित समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें एबीसीडीएल के एप्लिकेशन पर पोस्ट किए जा सकने वाले संशोधन शामिल हैं और पीपीआई का उपयोग जारी रखकर संशोधित नियमों और शर्तों को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

ग्राहक शिकायत निवारण

- पीपीआई और/या इन नियमों और शर्तों के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत की स्थिति में, ग्राहक एबीसीडीएल ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकता है, जिसका विवरण एबीसीडीएल मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध है।
- यदि पीपीआई और/या इन नियमों और शर्तों के संबंध में विवाद या शिकायत एबीसीडीएल के ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित या हल नहीं की जाती है, तो ग्राहक हमारे नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है, जिसका विवरण एबीसीडीएल की ग्राहक शिकायत निवारण नीति पर उपलब्ध है।
- एबीसीडीएल सहमत है कि ग्राहक द्वारा उठाई गई सभी शिकायतों, विवादों या शिकायतों को समयबद्ध तरीके से संबोधित और/या हल किया जाएगा।

शासी कानून और न्यायाधिकार

इन नियमों और शर्तों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा और भारत में मुंबई के न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

अप्रत्याशित घटना

इन नियमों और शर्तों में निहित किसी भी बात के बावजूद, एबीसीडीएल उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और जिस हद तक इन नियमों और शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी या अन्य विफलता एबीसीडीएल के उचित नियंत्रण से परे किसी घटना या परिस्थिति का परिणाम है, जिसमें बिना किसी पूर्वग्रह के पूर्वगामी की सामान्यता के, ईश्वर का कोई कार्य, युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल, दुर्घटना, महामारी, अतिमारी, आग, दंगा, बंद, या हड़ताल शामिल है।

पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, सक्षम न्यायाधिकार का कोई न्यायालय इन नियमों और शर्तों के किसी प्रावधान, या उसके किसी भाग को अप्रवर्तनीय पाता है, तो उस प्रावधान को अधिकतम संभव सीमा तक लागू किया जाएगा ताकि पक्षों के इरादे को उस प्रावधान द्वारा प्रतिबिंबित किया जा सके, और नियमों और शर्तों का शेष भाग पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा।

ग्राहक द्वारा घोषणा

- मैं ("ग्राहक") सहमत हूँ कि पीपीआई का खोलना और रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत या संशोधित नियमों और विनियमों के अधीन है।
- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285BA के तहत लागू नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है, जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2155(ई) दिनांक 7 अगस्त 2015 और आरबीआई परिपत्र संदर्भ संख्या डीबीआर.एएमएल.बीसी.नं.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के माध्यम से इस संबंध में अधिसूचित किया गया है।
- मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं अधिकार-प्राप्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति नहीं हूँ।
- ग्राहक एबीसीडीएल को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है और सहमति देता है कि पीपीआई जारी करने के उद्देश्य से एबीसीडीएल उसके पास पहले से उपलब्ध केवाईसी विवरणों पर भरोसा कर सकता है।
- मैं समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और इस मामले में आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय स्थिति और/या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों पर निर्भर करते हुए, एबीसीडीएल को पीपीआई के संबंध में विवरण निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) या अन्य सरकारी एजेंसियों को रिपोर्ट करना पड़ सकता है ताकि विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (सीआरएस) और या किसी अन्य समान व्यवस्था के संबंध में अंतर-सरकारी समझौतों (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का अनुपालन किया जा सके। मैं आगे निम्नानुसार घोषणा करता हूँ:
 - मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत गणराज्य का नागरिक और कर निवासी हूँ और किसी अन्य विदेशी देश का नहीं।
 - मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वर्तमान में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति ("पीईपी") या पीईपी के परिवार के सदस्य/रिश्तेदार/करीबी सहयोगी नहीं हूँ, जैसा कि प्रासंगिक आरबीआई विनियमों द्वारा परिभाषित किया गया है।
 - मैं सहमत हूँ और वचन देता हूँ कि यदि मैं पीपीआई जारी होने के बाद पीईपी या पीईपी के परिवार का सदस्य या करीबी सहयोगी बन जाता हूँ, तो मैं एबीसीडीएल को तुरंत सूचित करूँगा ताकि लागू कानूनों और एबीसीडीएल नीति के अनुसार उचित कदम उठाए जा सकें।
 - मैं समझता हूँ कि एक पीईपी, या पीईपी के परिवार के सदस्य या करीबी सहयोगी के रूप में, आप द्वारा निर्धारित अतिरिक्त ग्राहक उचित परिश्रम आवश्यकताओं के अधीन होंगे।
 - मैं एतद्वारा ऐसी सभी आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन करने के साथ-साथ एबीसीडीएल के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ ताकि पीईपी, या पीईपी के परिवार के सदस्य या करीबी सहयोगी पर लागू सभी निरंतर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
 - मैं परिवर्तन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी में होने वाले किसी भी परिवर्तन को घोषित करने और प्रकट करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, साथ ही मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में या यदि कोई प्रमाणीकरण गलत हो जाता है तो ताजा और वैध स्व-प्रमाणन दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता हूँ।
 - मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि ऑनबोर्डिंग के समय मेरे द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण/दस्तावेज वैध हैं और समाप्त नहीं हुए हैं, जहां भी लागू हो। मैं एतद्वारा आगे वचन देता हूँ कि इसमें किसी भी परिवर्तन के मामले में एबीसीडीएल को लिखित रूप में सूचित करूँगा।
 - मैं यह भी सहमत हूँ कि मुझे ज्ञात किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करने में मेरी विफलता, अब या भविष्य में, मुझे पीपीआई में लेनदेन करने से अमान्य कर सकती है और एबीसीडीएल मेरे पीपीआई के संचालन के

संबंध में प्रतिबंध लगाने या इसे बंद करने या किसी भी नियामक और/या किसी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का अधिकार रखेगा जो नामित किया गया है। भारत सरकार (जीओआई)/आरबीआई के उद्देश्य के लिए या एबीसीडीएल द्वारा उचित समझे जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई, सीबीडीटी/आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत, यदि निर्धारित अवधि के भीतर मेरे द्वारा कमी को दूर नहीं किया जाता है।

- मैं पीपीआई पर कानून में किसी भी परिवर्तन के बारे में भारत या विदेश में इस विषय में मुझसे प्रदान करने के लिए कहे गए किसी भी अन्य विवरण को एबीसीडीएल को प्रस्तुत करने और सूचित करने के लिए भी सहमत हूँ।
- मैं एबीसीडीएल के नियम और शर्तों तथा लागू नियमों और पीपीआई से संबंधित टी एंड सी में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों का पालन करने के लिए सहमत हूँ जैसा कि एबीसीडीएल के एप्लिकेशन पर संप्रेषित और उपलब्ध कराया गया है।
- मैं एबीसीडीएल ऐप पर पीपीआई में मेरी शेष राशि प्रदर्शित करने के लिए एबीसीडीएल को अपनी सहमति देता/देती हूँ।
- मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि डाउनटाइम, नेटवर्क कंजेशन, आउटेज, निर्धारित रखरखाव, या ऐसी अन्य घटनाएं हो सकती हैं जो एबीसीडीएल के उचित नियंत्रण से परे हैं और एबीसीडीएल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- मैं एतद्वारा अपनी स्पष्ट सहमति देता/देती हूँ और एबीसीडीएल को अपने व्यक्तिगत विवरण, जिसमें फोन नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं, को अपने किसी भी सेवा प्रदाता, व्यावसायिक प्रतिनिधि, क्रेडिट रेटिंग या जांच एजेंसियों या किसी अन्य एजेंसी या संस्था के साथ बैंकिंग, खोज, सर्वेक्षण और संबद्ध सेवाएं प्रदान करने या बीमा, थर्ड पार्टी लोन आदि सहित थर्ड पार्टी उत्पाद प्रदान करने के उद्देश्य से साझा करने की सहमति देता/देती हूँ।
- मैं एबीसीडीएल को किसी भी धोखाधड़ी, हानि या क्षति से क्षतिपूर्ति करने और मुक्त रखने के लिए सहमत हूँ जो मेरे कारण एबीसीडीएल को हुई हो, जिसमें मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई गलत जानकारी और/या मेरे विवरण/दस्तावेजों में परिवर्तन/बदलाव की सूचना देने में मेरी ओर से विफलता शामिल है। मैं एतद्वारा एबीसीडीएल और उनके उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों या सहयोगी को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी सहमत हूँ यदि मेरे द्वारा यहां प्रस्तुत किए गए कोई भी प्रतिनिधित्व, जानकारी, दस्तावेज और घोषणाएं अपने किसी भी विवरण में गलत, झूठी, कपटपूर्ण या भ्रामक हैं।

संपर्क जानकारी

- कॉल: 1800 270 7000
- मेल: Care.Digital@adityabirlacapital.com
- नोडल अधिकारी विवरण:
 - नाम: सुश्री सुजाता अरुण
 - पता: 9वीं मंजिल, वन वर्ल्ड सेंटर, टॉवर 1, जुपिटर मिल्स कंपाउंड, 841 सेनापति बापत मार्ग, एल्फिन्स्टन रोड, डेलिस्ले रोड, मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, 400013
 - ईमेल आईडी: abcdl.Servicehead@adityabirlacapital.com
 - फोन नंबर: 022-65022749

असंगति

- ये नियम और शर्तें सुविधा के लिए हिंदी और मराठी में भी उपलब्ध हैं।
- इन नियमों और शर्तों के अनुवादित संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी असंगति, विसंगति या अंतर की स्थिति में, ऐसी असंगति, विसंगति या अंतर की सीमा तक अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

अनुलग्नक 1: शुल्क अनुसूची

ABCD RuPay Gift Cards

क्र. सं.	विवरण	शुल्क
1	भौतिक कार्ड जारी करने का शुल्क	
	कॉर्पोरेट	₹25 + जीएसटी
	रिटेल	₹99 + जीएसटी
2	भौतिक कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क*	₹99 + जीएसटी
3	त्रैमासिक निष्क्रियता शुल्क (12 महीने की निष्क्रियता के बाद प्रत्येक तिमाही में लागू)	₹25 + जीएसटी
4	रेलवे टिकट बुकिंग	वास्तविक के अनुसार
5	ईंधन अधिभार (MCCs – 5541, 5542 & 5983)	2% + जीएसटी
6	अन्य अधिभार	वास्तविक के अनुसार

*प्रतिस्थापन शुल्क खोए/चोरी हुए/क्षतिग्रस्त/समाप्त हुए कार्डों पर लागू है

ABCD Wallet & Cards

क्र. सं.	विवरण	शुल्क
1	एबीसीडी वॉलेट में लोडिंग - क्रेडिट कार्ड	3.00%
2	भौतिक कार्ड जारी करने का शुल्क*	₹249 + जीएसटी
3	वार्षिक रखरखाव शुल्क	₹100 + जीएसटी
4	भौतिक कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क*#	₹249 + जीएसटी
5	एटीएम नकद निकासी*	₹23 + जीएसटी
6	एटीएम बैलेंस जांच*	₹10 + जीएसटी
7	त्रैमासिक निष्क्रियता शुल्क (12 महीने की निष्क्रियता के बाद प्रत्येक तिमाही में लागू)	₹25 + जीएसटी
8	रेलवे टिकट बुकिंग	वास्तविक के अनुसार
9	ईंधन अधिभार (MCCs – 5541, 5542 & 5983)	2% + जीएसटी
10	अन्य अधिभार	वास्तविक के अनुसार

*केवल उन पीपीआई पर लागू जो कार्ड के रूप में जारी किए गए हैं।

#प्रतिस्थापन शुल्क खोए/चोरी हुए/समाप्त कार्डों पर लागू होता है।

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची

क्र. सं.	संक्षिप्ताक्षर	विस्तार
1	पीपीआई	पूर्व भुगतान साधन
2	पीओएस	बिक्री बिंदु
3	ओटीपी	एक बार का पासवर्ड
4	केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
5	ईडीसी	इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर
6	एमपीआईएन	मोबाइल व्यक्तिगत पहचान संख्या
7	यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
8	एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
9	एसएमएस	लघु संदेश सेवा
10	सिम	ग्राहक पहचान मॉड्यूल
11	वीपीए	आभासी भुगतान पता
12	एफएक्यू	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न